न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 916 सन 2020

अनवान :–

1. सुनील पुत्र घडसीराम जाति मेघवाल निवासी किकराली तहसील नोहर ।
2. विनोद कुमार पुत्र कालुराम जाति मेघवाल निवासी किकराली तहसील नोहर

वादीगण

बनाम

1. देवीलाल पुत्र हरजीराम जाति मेघवाल निवासी किकराली तहसील नोहर।
2. घडसीराम पुत्र देवीलाल जाति मेघवाल निवासी किकराली तहसील नोहर।
3. कालुराम पुत्र देवीलाल जाति मेघवाल निवासी किकराली तहसील नोहर।
4. इन्द्रावती पुत्री देवीलाल जाति मेघवाल निवासी किकराली तहसील नोहर।
5. सुखी पुत्री देवीलाल जाति मेघवाल निवासी किकराली तहसील नोहर।
6. मुन्नीदेवी पुत्री देवीलाल जाति मेघवाल निवासी किकराली तहसील नोहर।
7. सुमन पुत्री सिलोचना पुत्री देवीलाल जाति मेघवाल निवासी किकराली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
8. संजय पुत्र सिलाचना पुत्री देवीलाल जाति मेघवाल निवासी किकराली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
9. अजयसिह पुत्र सिलोचना पुत्री देवीलाल जाति मेघवाल निवासी किकराली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
10. कमलेश पुत्र सिलोचना पुत्री देवीलाल जाति मेघवाल निवासी किकराली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
11. सोनी पुत्र घडसीराम जाति मेघवाल निवासी किकराली तहसील नोहर।
12. चन्द्रकला पुत्री घडसीराम जाति मेघवाल निवासी किकराली तहसील नोहर।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री राजपाल झोरड अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 06/01/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा किकराली के खाता संख्या 178/164 की कुल 26.5070 है में से 6613/26507 हिस्सा यानी 6.613हैक्ट एवं खाता संख्या 81/75 की कुल 2.1500हैक्ट भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा हरजीराम वल्द झण्डुराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा हरजीराम वल्द झण्डुराम म के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा हरजीराम वल्द झण्डुराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 12 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 4 ता 12 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है एवं पुत्र प्रतिवादी संख्या 2 की पुत्रीया एव मृतक सिलोचना के वारिस है प्रतिवादी संख्या 4 ता 12 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहैव के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता हरजीराम वल्द झण्डुराम के देहान्त होने पर विरासतन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 12 ने निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 13 पैरोकार राज ने जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जवाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा किकराली के खाता संख्या 178/164 की कुल 26.5070 है में से 6613/26507 हिस्सा यानी 6.613हैक्ट एवं खाता संख्या 81/75 की कुल 2.1500हैक्ट भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा हरजीराम वल्द झण्डुराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा हरजीराम वल्द झण्डुराम म के देहान्त होने पर वाद विरासतन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा हरजीराम वल्द झण्डुराम के देहान्त होने के बाद विरासतन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 12 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 4 ता 12 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है एवं पुत्र प्रतिवादी संख्या 2 की पुत्रीया एव मृतक सिलोचना के वारिस है प्रतिवादी संख्या 4 ता 12 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.वी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा किकराली के खाता संख्या 178/164 की कुल 26.5070 है में से

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

6613/26507 हिस्सा यानी 6.613हैक्ट एवं खाता संख्या 81/75 की कुल 2.1500हैक्ट भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 भु०प्रबन्ध विभाग के अनुसार वाद भूमि हरजीराम वल्द झण्डुराम के नाम से दर्ज थी अर्थात बाद भूमि पूर्व में वादी के दादा हरजीराम वल्द झण्डुराम के नाम से दर्ज है वादी के दादा हरजीराम वल्द झण्डुराम के देहान्त होने के वाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 ,8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के हक हिस्सा की भूमि है

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 4 ता 12 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 4 ता 12 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्ररतुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चरपा होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 12 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा किकराली के खाता संख्या 178/164 की कुल 26.5070 है में से 6613/26507 हिस्सा यानी 6.613हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 दोनो 1/2 हिस्सा व वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 3 का 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है एवं खाता संख्या 81/75 की कुल 2.1500हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/— रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 06/01/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. सुनील पुत्र घडसीराम जाति मेधवाल निवासी किकराली तहसील नोहर ।
2. विनोद कुमार पुत्र कालुराम जाति मेधवाल निवासी किकराली तहसील नोहर

वादीगण

बनाम

1 देवीलाल पुत्र हरजीराम जाति मेधवाल निवासी किकराली तहसील नोहर।
2 धडसीराम पुत्र देवीलाल जाति मेधवाल निवासी किकराली तहसील नोहर।
3 कालुराम पुत्र देवीलाल जाति मेधवाल निवासी किकराली तहसील नोहर।
4 इन्द्रावती पुत्री देवीलाल जाति मेधवाल निवासी किकराली तहसील नोहर।
5 सुखी पुत्री देवीलाल जाति मेधवाल निवासी किकराली तहसील नोहर।
6 मुन्नीदेवी पुत्री देवीलाल जाति मेधवाल निवासी किकराली तहसील नोहर।
7 सुमन पुत्री सिलोचना पुत्री देवीलाल जाति मेधवाल निवासी किकराली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
8 संजय पुत्र सिलाचना पुत्री देवीलाल जाति मेधवाल निवासी किकराली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
9 अजयसिह पुत्र सिलोचना पुत्री देवीलाल जाति मेधवाल निवासी किकराली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
10 कमलेश पुत्र सिलोचना पुत्री देवीलाल जाति मेधवाल निवासी किकराली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
11 रोनी पुत्र घडसीराम जाति मेधवाल निवासी किकराली तहसील नोहर।
12 चन्द्रकला पुत्री घडसीराम जाति मेधवाल निवासी किकराली तहसील नोहर।
13 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 916 सन 2020 निर्णय दिनांक– 06/01/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा किकराली के खाता संख्या 178/164 की कुल 26.5070 है में से 6613/26507 हिस्सा यानी 6.613हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 दोनो 1/2 हिस्सा व वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 3 का 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है एवं खाता संख्या 81/75 की कुल 2.1500हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

पर्चा डिक्री आज दिनांक 06/01/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner